

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/तौलकांटा/266/e-1652794/190

भोपाल, दिनांक 05/03/2026

// परिपत्र //

प्रस्तावना -

म.प्र.कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम-2009 के नियम-20(1)(एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मंडी/उपमंडी प्रांगणों में इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटों की स्थापना के नवीन निर्देश, अनुज्ञप्ति तथा करार के निबंधन की शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

1. आवश्यकता का निर्धारण -

- 1.1 कृषि उपज मंडी समिति के किसी प्रांगण में बी.ओ.टी. आधार पर नवीन तौलकांटे की आवश्यकता परिलक्षित होने पर प्रथमतः मंडी सचिव द्वारा युक्ति-युक्त आशय की सूचना/ प्रारंभिक प्रस्ताव आंचलिक कार्यालय को भेजा जाएगा।
- 1.2 मंडी समिति के प्रांगण में पूर्व से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापित होने के उपरांत भी मंडी की विपणन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु अतिरिक्त तौलकांटा स्थापित किये जाने की आवश्यकता एवं उपयोगिता की सूचना/ प्रारंभिक प्रस्ताव मंडी सचिव द्वारा आंचलिक कार्यालय को भेजा जाएगा।
- 1.3 कृषकों की उपज एवं व्यापारिक उपज की तौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंडी समिति के प्रांगण में **आवश्यकतानुसार 1 अथवा 2 प्लेट युक्त तौल कांटा (Weigh bridge pair)** स्थापित किये जायेंगे जिसमें एक प्लेट अनिवार्यतः 10 MT (कृषकों की सुविधा हेतु संचालक मंडल की 141वीं बैठक दिनांक 20/06/2023 के निर्णय अनुसार) तथा दूसरी प्लेट 30 MT या अधिक क्षमता की हो सकेगी, जिसका निर्धारण मंडी प्रांगण की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा।
- 1.4 सूचना प्राप्त होने पर 30 दिवस के भीतर आंचलिक संयुक्त/उप संचालक, कार्यपालन यंत्री तकनीकी संधाग तथा मंडी सचिव की आंकलन समिति द्वारा प्रश्नाधीन मंडी समिति के मंडी/उप मंडी प्रांगण की विगत 03 वर्षों की मासिक एवं वार्षिक आय-आवक तथा प्रांगण से जारी अनुज्ञापत्रों की संख्या के आधार पर आंकलन कर बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांटे की स्थापना की आवश्यकता/औचित्य का निर्धारण कर प्रकरण मंडी समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रकरण पर मंडी समिति 20 दिवस के भीतर अपने नियमित सम्मेलन में निर्णय लेगी।

2. स्थल/ले-आउट चिन्हांकन-

- 2.1 बी.ओ.टी. आधार पर लगाये जाने वाले तौलकांटे की स्थापना हेतु मंडी में उपलब्ध स्थानों में से यथास्थिति ऐसे स्थान का चयन किया जायेगा, जहाँ प्रांगण में आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके, तौल हेतु वाहन सहजता से तौलकांटे तक पहुँच सके तथा मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो।
- 2.2 मंडी समिति कंडिका-1.4 अनुसार पारित किये जाने वाले प्रस्ताव में "स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण, भूखंड का आकार आदि" भी अंकित करेगी।
- 2.3 एक तौलकांटे हेतु आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आदर्श/प्रतिमान (model) आकार 20X10 वर्गमीटर होगा। आंकलन समिति मंडी की आवश्यकता, स्थान की उपलब्धता, तौलकांटे की क्षमता आदि मानकों के आधार पर कम/अधिक आकार के भूखंड का आवंटन प्रस्तावित कर सकेगी, जिसके लिए समिति द्वारा स्पष्ट औचित्य सह आधार लिपिबद्ध किया जाएगा।

- 2.4 यदि उक्त प्रयोजन के लिए स्थान चिन्हित न हो तो एवं/अथवा आदर्श/प्रतिमान (model) भूखंड के आकार में परिवर्तन आवश्यक हो तो, मंडी समिति ले-आउट में तदनुसार संशोधन का प्रस्ताव प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुमोदन की प्राप्ति सुनिश्चित करेगी।

3. भू-खण्ड आवंटन की अवधि-

- 3.1 इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा (Weighbridge) स्थापित करने हेतु भूखण्ड का आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए केवल किराये पर दिया जायेगा।
- 3.2 विस्तारित अवधि (Extended Period) – तौल काँटा संचालन का कार्य संतोषजनक होने, समस्त देयकों का पूर्ण भुगतान होने तथा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मंडी समिति आवंटन अवधि में 05-05 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार वृद्धि करने का निर्णय ले सकेगी।
- 3.3 उपरोक्त वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में मंडी समिति एवं तौलकाँटा संचालक के मध्य नवीन अनुबंध संपादित किया जायेगा, जिसमें मंडी समिति तात्कालिक परिस्थितियों एवं मंडी बोर्ड के नवीन/प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नवीन शर्तें सम्मिलित कर सकेगी, जो तौलकाँटा संचालक को मान्य एवं बाध्यकारी होंगी।
- 3.4 आवंटन अवधि में वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में प्रत्येक वृद्धि के दौरान वार्षिक प्रीमियम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वार्षिक प्रीमियम राशि पुनरीक्षित की जाएगी।
- 3.5 मंडी समिति की शर्तों को तौलकाँटा संचालक द्वारा मान्य न किये जाने पर आवंटन अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी तथा तौलकाँटे के आवंटन हेतु पुनः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

4. तौलकांटे के भू-खण्ड का किराया-

- 4.1 आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का वार्षिक किराया, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य के 03 % अनुसार, कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 4.2 आवंटित भूखण्ड के किराए में प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि की जाएगी।
- 4.3 आवंटिती को तौलकांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये की राशि का भुगतान मंडी समिति को प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में अनिवार्यतः अग्रिम के रूप से करना होगा।
- 4.4 आवंटिती के पास किराये का अग्रिम भुगतान वार्षिक रूप से करने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा, वार्षिक किराये का भुगतान अग्रिम रूप से करने पर वार्षिक किराये में 4 % की छूट प्रदाय की जाएगी।

5. तुलाई दरों का निर्धारण-

- 5.1 तौलकांटे पर कृषकों एवं व्यापारियों की कृषि उपज की तौल के लिए तुलाई दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
- 5.2 कृषकों की उपज की तौल हेतु यथा ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहन के लिए दरें व्यापारिक तौल की दरों से न्यून तथा रियायती रखी जाएगी।
- 5.3 व्यापारिक जावक की तौल दरें सामान्यतः क्षेत्र की प्रचलित दरों के अनुरूप होगी। प्रारंभिक तुलाई दरें भूखण्ड आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निविदा प्रपत्र में उल्लेखित रहेगी, जिससे निविदाकार तौलकांटा संचालक इन दरों के आधार पर गणना कर वार्षिक प्रीमियम तथा वार्षिक किराए की निविदा प्रस्तुत कर सके।
- 5.4 मंडी समिति, मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 के प्रावधान अनुसार तुलाई दरों में संशोधन कर सकेगी, किन्तु एक बार निर्धारित दर में 03 वर्ष के पूर्व कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

6 वार्षिक प्रीमियम-

- 6.1 तौलकांटे की स्थापना हेतु निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रीमियम दरों के आधार पर उच्चतम बोलीकर्ता का निर्धारण किया जायेगा।
- 6.2 मंडी समिति के प्रवर्ग अनुसार न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम की दरें निम्नानुसार रहेगी:-

प्रवर्ग	न्यू वार्षिक प्रीमियम
क	75,000 रूपये
ख	75,000 रूपये
ग	35,000 रूपये
घ	25,000 रूपये

- 6.3 मंडी समिति में एक से अधिक प्रांगण होने की दशा में समस्त प्रांगणों में मंडी समिति के प्रवर्ग अनुसार न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम निर्धारित किया जायेगा, किन्तु उप मंडी प्रांगण हेतु न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 25,000 रूपये होगा।
- 6.4 वार्षिक तौलकांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा एक मुश्त अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष (अनुबंध संपादन माह में) मंडी समिति में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
उदाहरणस्वरूप - यदि जनवरी माह में अनुबंध निष्पादित किया गया है तो आगामी वर्ष से अनुबंध समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष अग्रिम प्रीमियम राशि जनवरी माह में अनिवार्यतः जमा करनी होगी।
- 6.5 मण्डी प्रांगण नगर से बाहर स्थानान्तरित होने पर अथवा अन्य किसी कारण से उक्त प्रांगण की आवक/क्रय-विक्रय 75% से कम होने पर अथवा कृषि विपणन गतिविधियां क्रय-विक्रय प्रांगण में समाप्त होने पर तौलकांटा संचालक, तत्संबंधी आवक व जावक के तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर अपनी वार्षिक प्रीमियम एवं वार्षिक किराया राशि कम अथवा माफ़ कराने के संबंध में प्रबंध संचालक के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अभ्यावेदन का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक होगा। उक्त संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड को होगा।

7. सुरक्षा निधि के रूप में धरोहर राशि (Security Amount) एवं रक्षित पेशगी (Secured Advance) जमा कराई जाएगी-

7.1 धरोहर राशि -

- 7.1.1 तौलकांटा स्थापना हेतु आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि सचिव, कृषि उपज मंडी के नाम पर ऑनलाइन/डी.डी. के रूप में जमा की जायेगी।
- 7.1.2 धरोहर राशि, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य का 3% होगी, जो कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 7.2 रक्षित पेशगी - अनुबंध के पूर्व सफल निविदाकार द्वारा 01 वर्ष के वार्षिक प्रीमियम की राशि रक्षित पेशगी के रूप में अतिरिक्त रूप से अनिवार्यतः जमा की जाएगी।
- 7.3 धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि सुरक्षा निक्षेप के रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी। उक्त राशि तौलकांटा संचालक को अनुबंध अवधि समाप्ति के एक माह के भीतर मंडी के देय स्वत्वों के समायोजन उपरांत बिना ब्याज लौटाई जाएगी।

8. टेंडर प्रक्रिया -

- 8.1 तौलकांटे हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए खुली नीलामी हेतु ई-बिडिंग/टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली का उपयोग कर लाईव बिडिंग कराई जाएगी।
- 8.2 उपरोक्त कार्यवाही हेतु विभागीय पोर्टल का निर्माण होने तक शासकीय पोर्टल/जैम पोर्टल का प्रयोग किया जायेगा, विभागीय पोर्टल निर्मित हो जाने पर उक्त का प्रयोग हेतु ई-बिडिंग/टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली हेतु किया जायेगा।
- 8.3 निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप 21 दिन पूर्व न्यूनतम एक राज्य स्तरीय तथा एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार (Circulation) सर्वाधिक हो, में भी किया जावेगा।
- 8.4 निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रूपये 5000/- होगी।
- 8.5 प्रदेश की किसी मंडी समिति के देयक/शोध्य वसूली योग्य होने एवं/अथवा शासन के किसी विभाग अथवा संगठन से ब्लैक लिस्टेड आवेदक तौलकांटे की निविदा प्रस्तुत करने हेतु अपात्र होंगे।
- 8.6 आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ कंडिका 8.5 के अनुक्रम में निर्धारित प्ररूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि भविष्य में शपथ-पत्र में दिये गये तथ्य/विवरण गलत/असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध तौल काँटा आवंटन निरस्ती एवं धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि राजसात करने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 8.7 ऑनलाइन निविदा द्विस्तरीय होगी, जिसमें तकनीकी बिड एवं वित्तीय आफर हेतु लाईव बिडिंग केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन लिफाफों में संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना प्ररूप अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8.8 किसी भी प्रकार के भौतिक (Physical) निविदा को प्रस्तुत/जमा करने की आवश्यकता नहीं है, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत किये बिना प्रेषित भौतिक निविदाओं को सीधे अमान्य कर दिया जाएगा।

9. निविदा समिति-

- 9.1 उपरोक्तानुसार प्राप्त निविदाओं को खोलने एवं परीक्षण की कार्यवाही निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जावेगी-
 01. अध्यक्ष, मंडी समिति/भारसाधक अधिकारी
 02. कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
 03. संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप के सहायक संचालक/समकक्ष; किन्तु संभाग अंतर्गत सहायक संचालक/समकक्ष अधिकारी पदस्थ न होने की स्थिति में संबंधित मंडी समिति के सचिव से वरिष्ठ श्रेणी के सचिव को प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जा सकेगा।
 04. तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि के रूप में सहायक यंत्री
 05. मंडी समिति के निर्वाचित 02 कृषक सदस्य जिसमें से एक महिला हो (केवल निर्वाचित मंडी समिति के कार्यकाल के दौरान)
 06. निर्वाचित व्यापारी सदस्य/व्यापारी एसोसिएशन का प्रतिनिधि
 07. सचिव, मण्डी समिति - संयोजक सदस्य होंगे।
- 9.2 बैठक में कोरम पूर्ति हेतु कंडिका 9.1 में से किन्ही भी 05 सदस्यों की उपस्थिति (अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी एवं सचिव मंडी समिति की उपस्थिति अनिवार्य होगी) आवश्यक होगी, कोरम पूर्ति होने

- पर ही गठित समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। कोरम पूर्ति न होने पर बैठक स्थगित कर आगामी तिथि निर्धारण हेतु सचिव, मंडी समिति को निर्देशित किया जायेगा।
- 9.3 निविदा समिति द्वारा केवल निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त निर्धारित प्ररूप में समस्त औपचारिताओं की पूर्ति करने वाली निविदाओं का मूल्यांकन किया जायेगा। जिसमें प्रथमतः तकनिकी अहर्ताओं का ऑनलाइन लिफाफा खोला जायेगा तत्पश्चात तकनिकी रूप से अहर्त्य निविदाकारों को टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया की वित्तीय बिडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- 9.4 निविदा समिति, प्राप्त निविदाओं का परीक्षण कर विवरण पत्रक तैयार करेगी, जिसमें सभी निविदाकारों के विवरण, अर्हताएँ तथा वार्षिक प्रीमियम की दर आदि अंकित कर उच्चतम योग्य निविदाकार का निर्धारण किया जायेगा।
- 9.5 निविदा समिति युक्तियुक्त निर्णय लेते हुए अपनी अनुशंसा मंडी समिति को प्रस्तुत करेगी। मंडी समिति उक्त पर 10 दिवस के भीतर बैठक आमंत्रित कर प्रस्ताव पारित कर निर्णय ले सकेगी।

10. निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध संपादन -

- 10.1 मंडी समिति द्वारा समस्त अहर्ताओं की पूर्ति करने वाले अधिकतम वार्षिक प्रीमियम के प्रस्तावकर्ता निविदाकार की निविदा अनुमोदित करने के उपरांत कार्यदिश देने के पूर्व निर्धारित प्ररूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
- 10.2 निष्पादित अनुबंध को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित दर से, स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगा।
- 10.3 निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में तौलकांटे के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाएं उल्लेखित किया जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य रहेगा।

11. तौलकांटे की संस्थापना-

- 11.1 तौलकांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौलकांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा।
- 11.2 केबिन पर गर्डर फर्शी की छत इस शर्त के साथ डाली जा सकती है कि छत पर अन्य निर्माण कार्य नहीं होगा एवं छत का उपयोग किसी व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व स्थापित बीओटी तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा।
- 11.3 तौलकांटे की स्थापना का कार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड के नवीनतम मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा। नापतौल विभाग के सत्यापन उपरांत ही तौलकांटा प्रारंभ किया जाएगा।
- 11.4 सफल निविदाकार को मंडी समिति से तौलकांटा आवंटन आदेश प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर तौल कांटे को स्थापित एवं क्रियाशील कर मंडी समिति को सूचित करना होगा।
- 11.5 विलंब की स्थिति में संबंधित पर निर्धारित वार्षिक प्रीमियम राशि का 1.5% प्रतिमाह के मान से विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।
- 11.6 यदि आगामी तीन माह (आदेश प्राप्त दिनांक से छः माह) के भीतर भी तौलकांटा प्रारंभ नहीं किया गया अथवा विलंब शुल्क सम्पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया, तो संबंधित का अनुबंध निरस्त किया जाकर धरोहर राशि एवं रक्षित पेशगी तथा यथा स्थिति तौलकांटे/संरचना/सामग्री (जैसी स्थिति में हो) राजसात कर ली जायेगी।
- 11.7 सफल निविदाकार द्वारा विधिवत् तौलकांटा स्थापना, नापतौल विभाग से सत्यापन कर क्रियाशील किये जाने की सूचना मंडी समिति को प्रस्तुत किये जाने पर मंडी समिति तत्काल तौलकांटे के संचालन के संबंध में सर्व संबंधितों को सूचना प्रदान करेगी।

11.8 तौलकांटे की स्थापना एवं सत्यापन आदि के सम्पूर्ण व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।

12. तौलकांटों का संचालन एवं व्यवस्था-

- 12.1 तौलकांटे की संचालन, रख-रखाव तथा विद्युत आदि के व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
- 12.2 तौलकांटा संचालनकर्ता को तौलकांटे को लगातार तकनीकी रूप से अद्यतन तकनीक से युक्त रखते हुए उसे अत्याधुनिक बनाए रखना होगा, जिसके व्यय का वहन भी संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
- 12.3 तौलकांटे के संचालन हेतु संबंधित तौलकांटा संचालक/ऑपरेटर को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलावटी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
- 12.4 उपविधि 2000 की कंडिका 24 के प्रावधान तौलकांटा संचालक/ ऑपरेटर पर यथास्थिति लागू होंगे।
- 12.5 तौलकांटा संचालक, यह सुनिश्चित करेगा कि मंडी के कार्य-समय (Working Hours) के दौरान तौल काँटा चालू रहे। जिसके लिए संबंधित आवश्यक संख्या में अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर नियोजित करेगा।
- 12.6 तौल में कोई अन्तर नहीं आए इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु नापतौल के नियमानुसार एक टन के क्षमता के मानक बॉट आवश्यक है, जिसमें 20 किलो से लेकर 50 किलो तक के बॉट कुल-1000 किलोग्राम मानक वजन/बॉट भी हर समय तौलकांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटो को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग, केलीब्रेशन, सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
- 12.7 तौलकांटे में संचालन के दौरान तकनीकी खराबी आने पर उसे अविलंब दुरुस्त करना होगा तथा उक्त अनुक्रम में नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि तौलकांटे की खराबी 72 घंटे के भीतर ठीक कर तौल काँटा चालू नहीं किया जाता है तो संचालनकर्ता पर मासिक किराए की 10% प्रतिदिन के मान से राशि, दंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।

13. तौल का रिकॉर्ड/निगरानी-

- 13.1 तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत किया जाना तथा तौलकांटे में डिजीटल लोडसेल लगाया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटरीकृत रसीद का रिकार्ड मासिकवार तौलकांटा संचालक द्वारा विगत 03 वर्षों का रिकार्ड संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13.2 तौलकांटे संचालक द्वारा वाहनों की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु तौलकांटे के वेट इन्डीकेटर मशीन को ई-मंडी प्रणाली से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।
- 13.3 तौलकांटा संचालक स्वयं के व्यय पर वाहनों की तौल की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार (न्यूनतम दो) सीसीटीवी कैमरें स्थापित करेगा।
- 13.4 मंडी समिति की सहमति से कैमरें इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे तुलाई किये जा रहे वाहन का प्रकार/वाहन का नंबर एवं तौलकाँटा के डिस्प्ले बोर्ड से तुलाई की स्थिति एक साथ (Simultaneously) रिकॉर्ड की जा सके।

- 13.5 तौलकांटा संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर, उपरोक्त स्थापित कैमरों की Live Video Feed मंडी सचिव कार्यालय अथवा अन्य निर्देशित स्थान पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपरोक्त रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 02 माह की अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जायेगी।
- 13.6 स्थापित तौलकांटे में किसी विशिष्ट घटना की स्थिति में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, ऐसी अवधि तक के लिए जैसा कि मंडी समिति एवं/अथवा सक्षम न्यायालय/प्रबंध संचालक/जिला प्रशासन द्वारा कंडिका 13.5 में उल्लेखित अवधि के भीतर लिखित रूप से अवगत कराया गया हो, सुरक्षित रखी जाएगी तथा उक्त रिकॉर्डिंग की 1 प्रति Pen Drive/हार्डडिस्क में मंडी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।
- 13.7 तौलकांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौलकांटा संचालक को पूर्ण सहयोग देना होगा।
- 14. विशेष प्रोत्साहन-** बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को, तौलकांटे की सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात् 10 वर्षों की प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण प्रीमियम राशि एकमुश्त अग्रिम जमा किये जाने पर, निर्धारित वार्षिक किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।
- 15. दांडिक प्रावधान -**
- 15.1 मासिक किराये के भुगतान में विलंब-** तौलकांटा संचालक द्वारा प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में त्रैमासिक किराया राशि का भुगतान नहीं करने पर किराये पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज, विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।
- 15.2 समय सीमा में प्रीमियम राशि जमा न करने पर विलंब शुल्क-**
- 15.2.1 निष्पादित अनुबंध दिनांक से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर वार्षिक प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।
- 15.2.2 द्वितीय वर्ष से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अग्रिम राशि निष्पादित अनुबंध के माह से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।
- 15.3 छः माह में प्रीमियम/किराया जमा न करने एवं/अथवा तौल काँटा 30 दिवस तक लगातार अक्रियाशील रहने की स्थिति में अनुबंध निरस्तीकरण:-**
- 15.3.1 छः माह तक निर्धारित प्रीमियम/किराया एवं कंडिका 15.1/ कंडिका 15.2 अनुसार विलंब शुल्क सहित पूर्ण देय योग्य राशि जमा नहीं करने एवं/अथवा किसी भी कारण से तौल काँटा 30 दिवस तक लगातार अक्रियाशील रहने की स्थिति में तौलकांटा संचालक का आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौलकांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
- 15.3.2 उपरोक्तानुसार राजसात संरचनाओं के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक नीलामी कर अन्य तौलकांटा संचालक को अस्थाई या स्थाई तौर पर उक्त तौलकांटा एवं संरचनाएं आवंटित की जायेंगी, उपरोक्त प्रक्रिया से अवशेष राशि वसूल की जायेगी। नीलामी होने तक कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए मंडी समिति द्वारा स्वयं के साधनों से तौलकाँटा का संचालन किया जा सकेगा।
- 15.3.3 नीलामी में प्राप्त राशि संबंधित पूर्व तौलकांटा आवंटिती की देयताओं (Dues) से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित को लौटाई जावेगी, किन्तु प्राप्त राशि देयताओं (Dues) से कम होने पर

अवशेष राशि के लिए मंडी अधिनियम की धारा 61 के तहत आर.आर.सी. के तौर पर संबंधित से वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

- 15.4 नियत अवधि में तौलकांटा संचालक से अनिवार्य रूप से प्रीमियम एवं किराया जमा कराये जाने की कार्यवाही करने हेतु मंडी समिति जवाबदेह होगी।

16. तौलकांटों की संख्या एवं क्षमता -

- 16.1 "क" तथा "ख" वर्ग की मंडी में अधिकतम 03 तौलकांटे प्रति प्रांगण, "ग" तथा "घ" वर्ग की मंडी में अधिकतम 02 तौलकांटे प्रति प्रांगण तथा उप मंडी प्रांगण में अधिकतम 01 तौलकांटा स्थापित किया जा सकेगा। प्रस्तावित तौलकांटे की क्षमता (10 MT की प्लेट/कांटे को छोड़कर) पूर्व से स्थापित तौलकांटों से भिन्न होनी चाहिए।
- 16.2 मंडी प्रांगणों में स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटों की क्षमता में वृद्धि के स्थान पर अतिरिक्त तौलकांटा की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। जब अतिरिक्त तौलकांटा स्थापित किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई होने से तौलकांटे की क्षमता वृद्धि आवश्यक हो, ऐसी स्थिति में प्रबंध संचालक द्वारा क्षमता वृद्धि की विशेष अनुमति प्रदान की जा सकेगी। किन्तु यह भी कि कृषक सुविधा हेतु लगाये गए 10MT तौलकांटे प्लेट की क्षमता में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 16.3 कंडिका 16.2 अंतर्गत क्षमता वृद्धि की विशेष अनुमति प्रदान किये जाने पर किराये का पुनः निर्धारण तत्समय प्रचलित कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार, कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग द्वारा किया जाएगा।
- 16.4 प्रांगण में अतिरिक्त तौलकांटा लगाये जाने की सक्षम अनुमति प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त होने पर नवीन तौलकांटे (भिन्न क्षमता) की बी.ओ.टी. के आधार पर स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी।

17. तौलकांटों के स्थानान्तरण की व्यवस्था-

- 17.1 मंडी की कृषि उपजों का क्रय-विक्रय नवीन मंडी प्रांगण में स्थानांतरित होकर अथवा तौलकांटे का उपयोग न होने पर, पुराने मंडी प्रांगण में स्थापित बी.ओ.टी. तौलकांटा अनुपयोगी हो जाने पर, आपसी सहमति से उक्त कांटे को नवीन मंडी प्रांगण अथवा उपमंडी प्रांगण में स्थानान्तरित कर समान क्षमता का तौलकांटा स्थापित किया जा सकेगा।
- 17.2 उक्त के लिए पूर्व की भांति ले-आउट में स्थान निश्चित कर, मंडी समिति की बैठक में अनुमोदन पश्चात प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड की पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 17.3 तौल कांटा स्थानांतरित किये जाने पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जायेगा।

18. मंडी समिति को तौलकांटे का हस्तांतरण-

- 18.1 तौलकांटों के संचालन की अनुबंधित अवधि समाप्ति उपरांत तौलकांटा तथा इसके संचालन के लिए निर्मित की गई समस्त संरचनाएं एवं प्रयुक्त उपकरण आदि यथावत् मंडी समिति को हस्तांतरित किये जायेंगे।
- 18.2 मंडी समिति एवं तौलकांटा संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि तौलकांटा, उपकरण एवं अन्य सामग्री चालू हालत में (Working Condition) हैं।
- 18.3 उपरोक्त हस्तांतरण के लिए तौलकांटा संचालक को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा यह सम्पत्ति मंडी समिति के स्वामित्व की मानी जायेगी।

19. तौलकांटे का अंतरण -

- 19.1 सामान्यतः मंडी प्रांगण में तौलकांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित होने के दिनांक से 5 वर्ष तक, तौलकांटा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित करने की अनुज्ञा प्रदाय नहीं की जाएगी, किन्तु 5 वर्ष की अवधि का बंधन तौलकांटा संचालक की अकस्मात् मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में लागू नहीं होगा।
- 19.2 तौलकांटा संचालक, मंडी प्रांगण में तौलकांटा स्थापित एवं सफलता पूर्वक संचालित करने के 5 वर्ष पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से तौलकांटा निरन्तर संचालित करने का इच्छुक नहीं हो, अथवा असमर्थ हो तो वह मंडी समिति की पूर्व अनुमति से इस व्यवस्था को किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा फर्म को हस्तांतरित कर सकेगा।
- 19.3 मंडी समिति द्वारा अंतरण मान्य होने पर सुरक्षा निधि की 10% राशि बतौर अंतरण प्रभार जमा कराई जायेगी।
- 19.4 नवीन तौलकांटा संचालक द्वारा तत्समय प्रभावी कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार सुरक्षा निधि जमा कर दिए जाने पर पूर्व तौलकांटा संचालक द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा निधि बिना ब्याज वापिस कर दी जाएगी।
- 19.5 नवीन तौलकांटा संचालक को स्वयं के व्यय पर नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसकी कार्य अवधि पूर्व अनुबंध की शेष अवधि रहेगी।

20. तौल व्यवस्था -

- 20.1 तौलकांटे में कृषकों की तौल ऐच्छिक रहेगी। मंडी समिति द्वारा कृषकों की तौल बडे इलेक्ट्रानिक तौलकांटे से कराने के सतत प्रयास किए जायेंगे।
- 20.2 कृषक द्वारा कृषि उपज की तौल कराने पर प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करानी होगी।
- 20.3 मंडी प्रांगण से निकासी के पूर्व, वाणिज्यिक संव्यवहार में विक्रय की गयी उपज की तौल मंडी में स्थापित बडे तौलकांटे अथवा बी.ओ.टी. तौलकांटे पर (किसी एक पर) कराया जाना अनिवार्य होगा एवं जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र में तौलकांटे की पर्ची पर उल्लेखित वजन दर्ज किया जाएगा।
- 20.4 यदि कोई व्यक्ति/फर्म/संस्था, प्रदेश के कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगणों में स्थापित तौलकांटे पर अपनी गैर कृषि जिन्सों की तौल कराना चाहती है तो ऐसे वाहनों की तौल की जा सकेगी। जिसकी तुलाई की दरें तौलकांटा संचालक एवं कृषि उपज मंडी समिति की आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गैर कृषि जिन्सों की तौल ऐसे समय पर की जावे, जब मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय का तौल कार्य प्रक्रियाधीन न हो, ताकि मंडी की मुख्य गतिविधियां प्रभावित न हो एवं मंडी की आय- आवक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित करना तौलकांटा संचालक का दायित्व रहेगा।

21. वैधानिक दायित्व -

- 21.1 तौलकांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौलकांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप-तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौलकांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग आदि वैधानिक कार्यवाहियां मण्डी समिति के सचिव/प्रतिनिधि के समक्ष कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 21.2 तौलकांटा संचालक पर ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम 1973 [Licensing of Contactors under Contract Labour (R&A) Act, 1970 & MP Rules, 1973] (यथा संशोधित), म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1973 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/ मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी

पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/ निर्देश बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

- 21.3 तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी समय-समय पर मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौलकांटे के केबिन में उपयुक्त प्रकार से सर्व संबंधितों के सूचनार्थ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
- 21.4 तौल संबंधी किसी अनियमितता/अपराध के लिए अधिनियम/उपविधि/अनुबंध के प्रावधानों के तहत एवं अद्यतन विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश विधिक अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

22. अनुबंध शर्तों का उल्लंघन -

- 22.1 आवंटिती तौलकांटा संचालक द्वारा तौलकांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में मंडी समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 22.2 उक्त हेतु सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा तौल काँटा संचालक को शर्तों के उल्लंघन को अभिलिखित करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधित को उत्तर प्रस्तुतिकरण हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।
- 22.3 तौलकांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी नियमतः कार्यवाही संपादित न होने पर तौलकाँटा का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
23. तौलकांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर अथवा नियम विरुद्ध आवंटन कार्यवाही होने पर अथवा अनियमित संचालन होने पर प्रबंध संचालक, म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच कर सकेंगे। प्रबंध संचालक, तौलकांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे और उनके द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

24 राजसात इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे के पुनः संचालन हेतु प्रक्रिया-

- 24.1 राजसात किये तौलकांटों का मूल्यांकन आंचलिक संयुक्त संचालक, कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग तथा सचिव की आंकलन समिति द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्मित संरचना, तौलकांटों एवं उसके अनुषांगिक उपकरण/सामग्री आदि की लागत सम्मिलित कर गणना की जाएगी। निर्धारित मूल्य का अनुमोदन अधीक्षण यंत्री, मंडी बोर्ड भोपाल से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 24.2 उक्त मूल्यांकन राशि को तौलकांटे की निविदा हेतु संरचना का प्राक्कलित मूल्य माना जायेगा।
- 24.3 परिपत्र की कंडिकाओं में उल्लेखित भूखण्ड की किराया राशि, सुरक्षा निधि, न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम, दांडिक प्रावधान, टेंडर प्रक्रिया तथा नीलामी समिति आदि समस्त शर्तें राजसात इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटों पर भी यथावत् लागू होंगी।
- 24.4 तौलकांटा आवंटन की अवधि 10 वर्ष की होगी, तथा इसके उपरान्त आपसी सहमति से समयावधि 5-5 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार बढ़ाई जा सकेगी।
- 24.5 राजसात तौल कांटे के संचालन हेतु न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम एवं प्राक्कलित मूल्य के आधार पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जाएगी।
- 24.6 प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा पृथक-पृथक ऑनलाइन प्रपत्र में वार्षिक प्रीमियम एवं विक्रय प्राक्कलित मूल्य हेतु बोली/ प्रस्थापना (Offer) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

24.7 निविदाकर्ता की दोनों बोली/ प्रस्थापना (Offer) का परीक्षण कर अधिकतम बोली/ प्रस्थापना (Offer) के निविदाकर्ता का चयन किया जायेगा। किन्तु कोई भी बोली/ प्रस्थापना (Offer), न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम एवं/अथवा प्राक्कलित मूल्य से कम होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

24.8 उच्चतम निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु गणना अग्रलिखित अनुसार होगी -

निविदाकार की परिकलित बोली/प्रस्थापना= [(वार्षिक प्रीमियम राशि की बोली/प्रस्थापना * आवंटन अवधि) + प्राक्कलित मूल्य की बोली/प्रस्थापना]

उदाहरण :-

राजसात तौलकांटे हेतु न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम 1,00,000/- रूपए एवं प्राक्कलित मूल्य 6,00,000/- रूपए है साथ ही आवंटन की अवधि 10 वर्ष है। उक्त हेतु प्राप्त निविदाओं का विवरण अग्रलिखित अनुसार है -

निविदाकार A द्वारा वार्षिक प्रीमियम की बोली की राशि 1,00,000/- रूपए एवं तौलकांटे का प्राक्कलित मूल्य की बोली 8,00,000/- रूपए लगाई गयी है, तो गणना अग्रलिखित अनुसार होगी -

निविदाकार की परिकलित बोली/प्रस्थापना= [(1,00,000*10) + 8,00,000]

निविदाकार A की परिकलित बोली/प्रस्थापना = 18,00,000/-

निविदाकार B द्वारा वार्षिक प्रीमियम की बोली की राशि 1,10,000/- रूपए एवं तौलकांटे का प्राक्कलित मूल्य की बोली 7,50,000/- रूपए लगाई गयी है, तो गणना अग्रलिखित अनुसार होगी -

निविदाकार की परिकलित बोली/प्रस्थापना=[(1,10,000 * 10)+7,50,000]=

निविदाकार B की परिकलित बोली/प्रस्थापना = 18,50,000/-

निर्णय: निविदाकार B की परिकलित बोली/प्रस्थापना निविदाकार A से अधिक होने से निविदाकार B को उच्चतम बोली मान्य किया जायेगा।

24.9 पुनः आवंटन के पूर्व राजसात तौलकांटे की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता परिलक्षित होने पर मंडी समिति स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी। जिसके लिए पुनः आवंटन प्रक्रिया के दौरान निविदा की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान किया जायेगा तथा निविदाकारों द्वारा स्वयं के व्यय पर तौलकांटे की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। आवंटन उपरांत तौलकांटे की क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होंगे।

24.10 परिपत्र की कंडिका 2,3,14,16 एवं 25 के अतिरिक्त अन्य कंडिकाओं में उल्लेखित समस्त शर्तें राजसात तौलकांटे के पुनः आवंटन पर यथावत् लागू होंगी।

25. प्रांगण में नए तौलकांटे की स्थापना उपरांत आवंटन/पूर्व से स्थापित बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटों के पुनः आवंटन की प्रक्रिया -

25.1 मंडी समिति द्वारा मंडी प्रांगण में BOT आधार पर तौलकांटा स्थापना हेतु 03 निविदा आमंत्रण उपरांत भी निविदा कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकने पर मंडी समिति स्वयं के व्यय पर इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे की स्थापना का निर्णय कर सकेगी, किन्तु उपमंडी प्रांगण में मंडी समिति द्वारा स्वयं के व्यय पर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे की स्थापना का निर्णय लिये जाने हेतु 03 निविदा आमंत्रण की बाध्यता नहीं होगी। उपरोक्त निर्णय की स्थिति में कंडिका 1.4 अनुसार गठित आंकलन समिति

- द्वारा औचित्य सहित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित कर प्रबंध संचालक का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर तौल कांटा मंडी/बोर्ड निधि से क्रय कर स्थापित किया जा सकेगा।
- 25.2 प्रांगण में स्थापित ऐसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकाँटे, जो कि मंडी/बोर्ड निधि से लगाये गए हो अथवा बी.ओ.टी. आधार पर निर्मित होकर अनुबंध समाप्ति उपरांत मंडी समिति को हस्तांतरित हो गए हो अथवा कंडिका 24 के अनुक्रम में राजसात किये गए तौलकाँटों के अनुबंध समाप्ति उपरांत मंडी के नियंत्रण में हो, के संचालन हेतु मंडी समिति निविदा प्रक्रिया अंतर्गत आवंटन की कार्यवाही कर सकेगी।
- 25.3 तौल काँटा जहाँ है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में 5 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जा सकेगा।
- 25.4 यदि तौलकाँटा तकनीकी खराबी के कारण बंद है तो सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर तौलकाँटे को क्रियाशील कर संचालित करना होगा। तौलकाँटे के रख-रखाव, मरम्मत एवं सत्यापन आदि पर होने वाले व्यय का वहन भी संबंधित द्वारा स्वयं किया जाना होगा।
- 25.5 तौल काँटा संचालन का कार्य संतोषजनक होने एवं देयकों का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित होने की दशा में तथा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मंडी समिति आवंटन अवधि में 01-01 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार वृद्धि करने का निर्णय कर सकेगी।
- 25.6 आवंटन के पूर्व तौलकाँटे की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता परिलक्षित होने पर मंडी समिति स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी। जिसके लिए निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान किया जायेगा तथा निविदाकारों द्वारा स्वयं के व्यय पर तौल काँटे की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। आवंटन उपरांत तौलकाँटे की क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होंगे।
- 25.7 परिपत्र की कंडिका 2,3,14,16 एवं 24 के अतिरिक्त अन्य कंडिकाओं में उल्लेखित समस्त शर्तें इस कंडिका के तहत तौलकाँटे के आवंटन/पुनः आवंटन पर यथावत् लागू होंगी।
- 25.8 जिन मंडियों में तौलकाँटे सुचारू रूप से संचालित होकर वांछित आय प्राप्त हो रही है, वे मंडी समितियां स्वयं के साधनों से संचालन कर सकती हैं।

26. अक्रियाशील/अनुपयोगी तौलकाँटों को Dismantle/ विक्रय किया जाना -

- 26.1 मंडी प्रांगण में स्थापित पुराने/राजसात तौलकाँटे, जो अक्रियाशील/अनुपयोगी होकर संचालन योग्य नहीं हैं, उन तौलकाँटों के संबंध में नापतौल विभाग से अनुपयोगी होने संबंधी अनफिट प्रमाण पत्र प्राप्त कर Dismantle/विक्रय की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।
- 26.2 तौलकाँटे का अपसेट मूल्य कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग से निर्धारित किया जायेगा।
- 26.3 निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निविदा के माध्यम से, जहां है जैसा है के आधार पर, तौलकाँटा Dismantle कर विक्रय किया जा सकेगा। तौल काँटे को Dismantle करने तथा उपकरण/सामग्री आदि के संग्रहण, परिवहन एवं व्यस्थित निपटान पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित क्रेता/सफल निविदाकार द्वारा किया जायेगा।
- 26.4 उक्त Dismantle/विक्रय से प्राप्त राशि मंडी समिति के लेखों में अतिरिक्त आय मद में जोड़ी जाएगी।
27. तौलकाँटा संचालक द्वारा मंडी समिति के समस्त देयकों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
28. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयीन क्षेत्र मध्यप्रदेश रहेगा।


29. मध्यस्थता (Arbitration) –

- 29.1 किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्रेषित किया जायेगा।
- 29.2 प्रबंध संचालक, उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर यथास्थिति उभय पक्षों को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 60 दिवस में प्रकरण में विनिश्चय करेंगे।
- 29.3 प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।


30. निरसन एवं व्यावृत्ति. (Repeal and Savings) –

इन निर्देशों के प्रारंभ होने के पूर्व इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त बी.ओ.टी. (निर्माण, प्रवर्तन तथा अंतरण) के आधार पर स्थापित एवं संचालित तौलकांटों से कराये जाने की प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड के परिपत्र क्रमांक/बी-7/2/तौकां/14/2018-19/397 भोपाल, दिनांक 17.10.2019 एवं परिपत्र क्रमांक/बी-7/2/तौ.कां/14/20-21/1104 दिनांक 28/06/2021 तथा मंडी के आधिपत्य के तौल काँटों के आवंटन की प्रक्रिया परिपत्र क्रमांक/मंडी/प्रा./बी-4/44/90/152-153 दिनांक 24/06/2000 एवं परिपत्र क्रमांक/बी-7/2/202/45/ 679-680 दिनांक 26/06/2002 इन निर्देशों के प्रारंभ होने की तारीख से निरस्त हो जाएंगे; परन्तु इन निर्देशों के प्रारंभ होने से पूर्व प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में बी.ओ.टी. तथा एम.ओ.टी. पर स्थापित/संचालित इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटों के संबंध में अनुबंध की शेष अवधि हेतु मंडी समिति एवं तौलकांटा संचालक के मध्य सम्पादित अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान अनुबंध की समाप्ति उपरांत इन निर्देशों के तहत आगामी कार्यवाही की जाएगी;

परन्तु यह भी कि पूर्व में निराकृत किए जा चुके मामले अप्रभावित रहेंगे।


(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

- 1- विशेष सहायक, माननीय कृषि मंत्री एवं अध्यक्ष, मंडी बोर्ड, भोपाल।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
- 3- कलेक्टर जिला (समस्त)।
- 4- अपर संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- 5- अधीक्षण यंत्री/संयुक्त संचालक (समस्त), मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- 6- संयुक्त संचालक (समन्वय) मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालयों यों की मासिक समीक्षा बैठक के एजेण्डा में बी.ओ.टी. तौलकांटों की स्थापना के विषय को सम्मिलित करें।
- 7- संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,(समस्त)।
- 8- कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग,(समस्त)।
- 9- उप संचालक/सहायक संचालक, (समस्त) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- 10- प्रोग्रामर, मुख्यालय भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र पोर्टल में अपलोड करावे।
- 11- भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

बी.ओ.टी. तौलकांटा हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति,..... द्वारा ई-बिडिंग/टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बी.ओ.टी.) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक..... को समय.....तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टलपर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किये जाने वाले तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार है-

क्र.	इलेक्ट्रानिक तौलकांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम/आपसेट (राशि रूपये)	धरोहर राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

संक्षिप्त शर्त :-

- निविदा शुल्क राशि 5,000/- रूपये (जी.एस.टी. एवं पोर्टल शुल्क अतिरिक्त) है, जिसे जमा कर इच्छुक निविदाकार निविदा में भाग ले सकेंगे।
स्थापित कराए जाने वाले बी.ओ.टी. तौलकांटे हेतु तुलाई की दरें निम्नानुसार रहेगी:-
 - प्रति ट्रक ट्राला (12 चका या कम).....
 - प्रति ट्रक ट्राला (16 चका या अधिक).....
 - प्रति टेक्टर ट्राली
 - प्रति बैलगाड़ी.
 - हाथ ठेला
- संशोधन संबंधी सूचना (यदि कोई हो तो) केवल ऑनलाईन पोर्टल पर प्रकाशित की जाएँगी।
- निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक निविदाकारों को पोर्टल पर विहित प्रक्रिया अनुसार विधिवत पंजीयन एवं आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
- निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को धरोहर राशि ऑनलाईन यथा RTGS/NEFT से खाता क्रमांक.....में/राष्ट्रीय शेड्यूल बैंक की डी.डी. (सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....के नाम से देय) के माध्यम से जमा कराई जानी होगी तथा उक्त की प्रति तकनीकी बिड में संलग्न की जानी होगी।

.....निरंतर

05. अग्रिम धन जमा/रसीद संलग्न किये बिना प्रस्तुत की गई निविदा मान्य योग्य नहीं होगी तथा निरस्त कर दी जाएगी।
06. निविदा प्रक्रिया में मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापना संबंधी नवीनतम परिपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत नियम एवं शर्तें, निविदाकार पर बंधनकारी होगी।
07. निविदाकार को निम्नलिखित दस्तावेजों की वैध स्वप्रमाणित प्रतियां तकनीकी बिड में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
- (a) Registration of firm/establishment (गुमास्ता)।
- (b) PAN No.
- (c) GST/VAT Registrations
- (d) Tax Clearance certificate of previous year.
- (e) Affidavit on Rs.1000/- stamp stating that documents are correct and no information is wrong or hidden & also the bidder has No close relative in the concerned mandi samiti.

टेण्डर शेड्यूल

क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1	ई -निविदा प्रकाशन दिनांक	DD/MM/YYYY
2	निविदा प्रपत्र डाउनलोड/विक्रय प्रारंभ तिथि एवं समय	DD.MM.YYYY @ 11:00 बजे तक
3	निविदा प्रपत्र डाउनलोड/विक्रय समाप्ति तिथि एवं समय	DD.MM.YYYY @ 17:00 बजे तक
4	तकनीकी बिड प्रारंभ दिनांक एवं समय	DD.MM.YYYY @ 11:00 बजे तक
5	तकनीकी बिड समाप्ति दिनांक एवं समय	DD.MM.YYYY @ 17:00 बजे तक
6	तकनीकी बिड खुलने का दिनांक एवं समय	DD.MM.YYYY @ 11:00 बजे तक
7	तकनीकी बिड में सफल निविदाकारों के लिए वित्तीय आफर हेतु ऑक्शन दिनांक एवं समय	DD.MM.YYYY @ 11:00 बजे तक से DD.MM.YYYY @ 17:00 बजे तक

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....

अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,.....जिला.....(म.प्र.)
(बी.ओ.टी./एम.ओ.टी. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापना एवं संचालन का "निविदा प्रपत्र")

01. निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम-
02. निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म का विवरण
(A) Registration of firm/establishment
(गुमास्ता)
(B) PAN No.
(C) GST/VAT Registrations No.
(d) Tax Clearance certificate year.
03. फर्म का अन्य विवरण व पदाधिकारियों की सूची
04. अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता आवश्यक समझे
- 05 मंडी समिति..... में निकट सगे संबंधी पदस्थ होने/नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न किया गया है। पदस्थ होने की स्थिति में सम्पूर्ण विवरण-
अधिकारी/कर्मचारी का नाम-
पद-
निविदाकार से संबंध
हाँ/नहीं
06. जमा की गई धरोहर राशि का विवरण-

डी.डी. क्रमांक/यूटीआर नम्बर	बैंक का नाम	दिनांक	राशि रूपये

.....निरंतर

//2//

07. पत्र व्यवहार का पता-

.....
.....
.....
.....

ई-मेल.....

मो.न.



कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,.....जिला.....(म.प्र.)

मेरे/हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे से संबंधित नियम एवं निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर समझ लिया है तथा मण्डी द्वारा तौलकांटा स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इसके उपरान्त मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव दिया जाता है। यदि मण्डी समिति बी.ओ.टी. आधार पर तौलकांटा स्थापना हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत करती है, तो मैं/हम आवंटन हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे। (संलग्न विस्तृत शर्तें)

01. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे की क्षमता
02. वार्षिक प्रीमियम की राशि अंकों में (अंको मे रूपये)
(शब्दों में रूपये)
03. प्रस्तावित तौलकांटे का मेक/मॉडल
(यदि निविदा के समय दिया जाना संभव हो तो)

दिनांक -----

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति के हस्ताक्षर.

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति,.....जिला.....(म.प्र.)

(मुख्य मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण)

बी.ओ.टी. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापना/संचालन की विस्तृत शर्तें

1. तौलकांटे की स्थापना हेतु जारी नवीनतम परिपत्र दिनांकमें उल्लेखित बी.ओ.टी. तौलकांटा संबंधी सुसंगत शर्तें निविदा का भाग होगी।
2. मंडी में उपलब्ध स्थानों में से उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है, जहाँ प्रांगण में आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके, तौल हेतु वाहन सहजता से तौलकांटे तक पहुँच सके तथा मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो।
3. परिपत्र की कंडिका-1.4 अनुसार मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में "स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण, भूखंड का आकार आदि" दर्ज है, जो निविदा का भाग होगा।
4. सामान्यतः तौलकांटे हेतु आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आदर्श/प्रतिमान (model) आकार 20X10 वर्गमीटर होगा /आंकलन समिति द्वारा मंडी की आवश्यकता, स्थान की उपलब्धता, तौलकांटे की क्षमता आदि मानकों के आधार पर कम/अधिक आकार केवर्गमीटर भूखंड का आवंटन प्रस्तावित कर ले-आउट में तदनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार निविदा आमंत्रित की गई है (जो लागू हो)।
5. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा (Weighbridge) स्थापित करने हेतु भूखण्ड का आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए केवल किराये पर दिया जायेगा।
6. विस्तारित अवधि (Extended Period) – तौल काँटा संचालन का कार्य संतोषजनक होने, समस्त देयकों का पूर्ण भुगतान होने तथा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मंडी समिति आवंटन अवधि में 05-05 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार वृद्धि करने का निर्णय ले सकेगी।
7. उपरोक्त वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में मंडी समिति एवं तौलकाँटा संचालक के मध्य नवीन अनुबंध संपादित किया जायेगा, जिसमें मंडी समिति तात्कालिक परिस्थितियों एवं मंडी बोर्ड के नवीन/प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नवीन शर्तें सम्मिलित कर सकेगी, जो तौलकाँटा संचालक को मान्य एवं बाध्यकारी होंगी। मंडी समिति की शर्तों को तौलकाँटा संचालक द्वारा मान्य न किये जाने पर आवंटन अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी तथा तौलकांटे के आवंटन हेतु पुनः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
8. आवंटन अवधि में वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में प्रत्येक वृद्धि के दौरान वार्षिक प्रीमियम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वार्षिक प्रीमियम राशि पुनरीक्षित की जाएगी।
9. आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का वार्षिक किराया, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य के 03 % अनुसार, कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि वर्तमान आवंटन हेतुराशि रूपये प्रतिमाह होगा।
10. आवंटित भूखण्ड के किराए में प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि की जाएगी।
11. आवंटिती को तौलकांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये की राशि का भुगतान मंडी समिति को प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में अनिवार्यतः अग्रिम के रूप से करना होगा।
12. आवंटिती के पास किराये का अग्रिम भुगतान वार्षिक रूप से करने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा, वार्षिक किराये का भुगतान अग्रिम रूप से करने पर वार्षिक किराये में 4% (चार प्रतिशत) की छूट प्रदाय की जाएगी।
13. तौलकांटे पर कृषकों एवं व्यापारियों की कृषि उपज की तौल के लिए तुलाई दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जाएँगी। कृषकों की उपज की तौल हेतु यथा ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहन के लिए दरें व्यापारिक तौल की दरों से न्यून तथा रियायती रखी जाएगी।

14. व्यापारिक जावक की तौल दरें सामान्यतः क्षेत्र की प्रचलित दरों के अनुरूप होगी। प्रारंभिक तुलाई दरें भू-खण्ड आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है जो अनुबंध का भाग होगी।
15. मंडी समिति, मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 के प्रावधान अनुसार तुलाई दरों में संशोधन कर सकेगी, किन्तु एक बार निर्धारित दर में 03 वर्ष के पूर्व कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
16. ऑनलाइन निविदा द्विस्तरीय होगी, जिसमें तकनीकी बिड एवं वित्तीय आफर हेतु लाईव बिडिंग केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ऑनलाइन लिफाफों में संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना प्ररूप अनुसार अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. तौलकांटे हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए खुली नीलामी हेतु ई-बिडिंग/टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली का उपयोग कर लाईव बिडिंग कराई जाएगी।
18. किसी भी प्रकार के भौतिक (Physical) निविदा को प्रस्तुत/जमा करने की आवश्यकता नहीं है, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत किये बिना प्रेषित भौतिक निविदाओं को सीधे अमान्य कर दिया जाएगा।
19. निविदा समिति द्वारा केवल निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त निर्धारित प्ररूप में समस्त औपचारिताओं की पूर्ति करने वाली निविदाओं का मूल्यांकन किया जायेगा। जिसमें प्रथमतः तकनीकी अहर्ताओं का ऑनलाइन लिफाफा खोला जायेगा तत्पश्चात तकनीकी रूप से अहर्त्य निविदाकारों को टेंडर कम ऑक्शन प्रक्रिया की वित्तीय बिडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
20. निविदा समिति, प्राप्त निविदाओं का परीक्षण कर विवरण पत्रक तैयार करेगी, जिसमें सभी निविदाकारों के विवरण, अहर्ताएँ तथा वार्षिक प्रीमियम की दर आदि अंकित कर उच्चतम योग्य निविदाकार का निर्धारण किया जायेगा।
21. निविदा समिति युक्तियुक्त निर्णय लेते हुए अपनी अनुशंसा मंडी समिति को प्रस्तुत करेगी। मंडी समिति उक्त पर 10 दिवस के भीतर बैठक आमंत्रित कर प्रस्ताव पारित कर निर्णय ले सकेगी।
22. मंडी समिति द्वारा समस्त अहर्ताओं की पूर्ति करने वाले अधिकतम वार्षिक प्रीमियम के प्रस्तावकर्ता निविदाकार की निविदा अनुमोदित करने के उपरांत कायदेश देने के पूर्व निर्धारित प्ररूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
23. निष्पादित अनुबंध को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित दर से, स्टाम्पित होना अनिवार्य रहेगा।
24. निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में तौलकांटे के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि का स्पष्ट विवरण एवं चतुर्सीमाएं उल्लेखित किया जाना तथा अनुबंध को नोटराईज्ड/पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य रहेगा।
25. उच्चतम दर अनुसार वार्षिक तौलकांटा प्रीमियम की राशि संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा एक मुश्त अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष (अनुबंध संपादन माह में) मंडी समिति में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उदाहरणस्वरूप - यदि जनवरी माह में अनुबंध निष्पादित किया गया है तो आगामी वर्ष से अनुबंध समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष अग्रिम प्रीमियम राशि जनवरी माह में अनिवार्यतः जमा करनी होगी।
26. धरोहर राशि, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य का 3% (तीन प्रतिशत) होगी, जो कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसी प्रकार सफल निविदाकार द्वारा 01 वर्ष के वार्षिक प्रीमियम की राशि रक्षित पेशगी के रूप में अतिरिक्त रूप से अनिवार्यतः जमा की जाएगी।
27. धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि सुरक्षा निक्षेप के रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी। उक्त राशि तौलकांटा संचालक को अनुबंध अवधि समाप्ति के एक माह के भीतर मंडी के देय स्वत्वों के समायोजन उपरांत बिना ब्याज लौटाई जाएगी।
28. प्रदेश की किसी मंडी समिति के देयक/शोध्य वसूली योग्य होने एवं/अथवा शासन के किसी विभाग अथवा संगठन से ब्लैक लिस्टेड आवेदक तौलकांटे की निविदा प्रस्तुत करने हेतु अपात्र होंगे।
29. आवेदन के साथ परिपत्र की कंडिका 8.5 के अनुक्रम में निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत शपथ-पत्र में दिये गये तथ्य/विवरण गलत/असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध तौल कांटा आवंटन निरस्ती एवं धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि राजसात करने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।



30. तौलकांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौलकांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन पर गर्डर फर्शी की छत इस शर्त के साथ डाली जा सकती है कि छत पर अन्य निर्माण कार्य नहीं होगा एवं छत का उपयोग किसी व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व स्थापित बीओटी तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा।
31. तौलकांटे की स्थापना का कार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड के नवीनतम मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा। नापतौल विभाग के सत्यापन उपरांत ही तौलकांटा प्रारंभ किया जाएगा।
32. सफल निविदाकार को मंडी समिति से तौलकांटा आवंटन आदेश प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर तौलकांटे को स्थापित एवं क्रियाशील कर मंडी समिति को सूचित करना होगा। विलंब की स्थिति में संबंधित पर निर्धारित वार्षिक प्रीमियम राशि का 1.5% प्रतिमाह के मान से विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। यदि आगामी तीन माह (आदेश प्राप्त दिनांक से छः माह) के भीतर भी तौलकांटा प्रारंभ नहीं किया गया अथवा विलंब शुल्क सम्पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया, तो संबंधित का अनुबंध निरस्त किया जाकर धरोहर राशि एवं रक्षित पेशगी तथा यथा स्थिति तौलकांटे/संरचना/सामग्री (जैसी स्थिति में हो) राजसात कर ली जायेगी।
33. सफल निविदाकार द्वारा विधिवत् तौलकांटा स्थापना, नापतौल विभाग से सत्यापन कर क्रियाशील किये जाने की सूचना मंडी समिति को प्रस्तुत किये जाने पर मंडी समिति तत्काल तौलकांटे के संचालन के संबंध में सर्व संबंधितों को सूचना प्रदान करेगी।
34. तौलकांटे की स्थापना एवं सत्यापन आदि के सम्पूर्ण व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
35. तौलकांटे की संचालन, रख-रखाव तथा विद्युत आदि के व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
36. तौलकांटा संचालनकर्ता को तौलकांटे को लगातार तकनीकी रूप से अद्यतन तकनीक से युक्त रखते हुए उसे अत्याधुनिक बनाए रखना होगा, जिसके व्यय का वहन भी संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
37. तौलकांटे के संचालन हेतु संबंधित तौलकांटा संचालक/ऑपरेटर को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलावटी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
38. उपविधि 2000 की कंडिका 24 के प्रावधान तौलकांटा संचालक/ऑपरेटर पर यथास्थिति लागू रहेंगे।
39. तौलकांटा संचालक, यह सुनिश्चित करेगा कि मंडी के कार्य-समय (Working Hours) के दौरान तौलकांटा चालू रहे। जिसके लिए संबंधित आवश्यक संख्या में अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर नियोजित करेगा।
40. तौल में कोई अन्तर नहीं आए इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु नापतौल के नियमानुसार एक टन के क्षमता के मानक बॉट आवश्यक है, जिसमें 20 किलो से लेकर 50 किलो तक के बॉट कुल-1000 किलोग्राम मानक वजन/बॉट भी हर समय तौलकांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटों को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग, केलीब्रेशन, सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
41. तौलकांटे में संचालन के दौरान तकनीकी खराबी आने पर उसे अविलंब दुरुस्त करना होगा तथा उक्त अनुक्रम में नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि तौलकांटे की खराबी 72 घंटे के भीतर ठीक कर तौलकांटा चालू नहीं किया जाता है तो संचालनकर्ता पर मासिक किराए की 10% प्रतिदिन के मान से राशि, दंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।
42. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत किया जाना तथा तौलकांटे में डिजीटल लोडसेल लगाया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटरीकृत रसीद का रिकार्ड मासिकवार तौलकांटा संचालक द्वारा विगत 03 वर्षों का रिकार्ड संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
43. तौलकांटे संचालक द्वारा वाहनों की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु, यथास्थिति, तौलकांटे के वेट इन्डीकेटर मशीन को ई-मंडी प्रणाली से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।
44. तौलकांटा संचालक स्वयं के व्यय पर वाहनों की तौल की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार (न्यूनतम दो) सीसीटीवी कैमरें स्थापित करेगा। समिति की सहमति से कैमरें इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे तुलाई किये जा रहे वाहन का प्रकार/वाहन का नंबर एवं तौलकांटा के डिस्टले बोर्ड से तुलाई की स्थिति एक साथ

- (Simultaneously) रिकॉर्ड की जा सके। तौलकांटा संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर, उपरोक्त स्थापित कैमरों की Live Video Feed मंडी सचिव कार्यालय अथवा अन्य निर्देशित स्थान पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपरोक्त रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 02 माह की अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जायेगी।
45. स्थापित तौलकांटे में किसी विशिष्ट घटना की स्थिति में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, ऐसी अवधि तक के लिए जैसा कि मंडी समिति एवं/अथवा सक्षम न्यायालय/प्रबंध संचालक/जिला प्रशासन द्वारा परिपत्र की कंडिका 13.5 में उल्लेखित अवधि के भीतर लिखित रूप से अवगत कराया गया हो, सुरक्षित रखी जाएगी तथा उक्त रिकॉर्डिंग की 1 प्रति Pen Drive/हार्डडिस्क में मंडी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।
 46. तौलकांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौलकांटा संचालक को पूर्ण सहयोग देना होगा।
 47. बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को, तौलकांटे की सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात् 10 वर्षों की प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण प्रीमियम राशि एकमुश्त अग्रिम जमा किये जाने पर, निर्धारित वार्षिक किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।
 48. तौलकांटा संचालक द्वारा प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में त्रैमासिक किराया राशि का भुगतान नहीं करने पर किराये पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज, विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।
 49. निष्पादित अनुबंध दिनांक से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर वार्षिक प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।
 50. द्वितीय वर्ष से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अग्रिम राशि निष्पादित अनुबंध के माह से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।
 51. छः माह तक निर्धारित प्रीमियम/किराया एवं परिपत्र की कंडिका 15.1/ कंडिका 15.2 अनुसार विलंब शुल्क सहित पूर्ण देय योग्य राशि जमा नहीं करने एवं/अथवा किसी भी कारण से तौल काँटा 30 दिवस तक लगातार अक्रियाशील रहने की स्थिति में तौलकांटा संचालक का आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौलकांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
 52. उपरोक्तानुसार राजसात संरचनाओं के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक नीलामी कर अन्य तौलकांटा संचालक को अस्थाई या स्थाई तौर पर उक्त तौलकांटा एवं संरचनाएं आवंटित की जायेगी, उपरोक्त प्रक्रिया से अवशेष राशि वसूल की जायेगी। नीलामी होने तक कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए मंडी समिति द्वारा स्वयं के साधनों से तौलकाँटा का संचालन किया जा सकेगा।
 53. नीलामी में प्राप्त राशि संबंधित पूर्व तौलकांटा आवंटिती की देयताओं (Dues) से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित को लौटाई जावेगी, किन्तु प्राप्त राशि देयताओं (Dues) से कम होने पर अवशेष राशि के लिए मंडी अधिनियम की धारा 61 के तहत आर.आर.सी. के तौर पर संबंधित से वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
 54. तौलकांटे में कृषकों की तौल ऐच्छिक रहेगी। मंडी समिति द्वारा कृषकों की तौल बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे से कराने के सतत प्रयास किए जायेंगे। कृषक द्वारा कृषि उपज की तौल कराने पर प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करानी होगी।
 55. मंडी प्रांगण से निकासी के पूर्व, वाणिज्यिक संव्यवहार में विक्रय की गयी उपज की तौल मंडी में स्थापित बड़े तौलकांटे अथवा बी.ओ.टी. तौलकांटे पर (किसी एक पर) कराया जाना अनिवार्य होगा एवं जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र में तौलकांटे की पर्ची पर उल्लेखित वजन दर्ज किया जाएगा।
 56. यदि कोई व्यक्ति/फर्म/संस्था, प्रदेश के कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगणों में स्थापित तौलकांटे पर अपनी गैर कृषि जिन्सों की तौल कराना चाहती है तो ऐसे वाहनों की तौल की जा सकेगी। जिसकी तुलाई की दरें तौलकांटा संचालक एवं कृषि उपज मंडी समिति की आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गैर कृषि जिन्सों की तौल ऐसे समय पर की जावे, जब मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय का तौल कार्य प्रक्रियाधीन न हो, ताकि मंडी की मुख्य गतिविधियां प्रभावित न हों एवं मंडी की आय- आवक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित करना तौलकांटा संचालक का दायित्व रहेगा।

57. तौलकांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौलकांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप-तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौलकांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग आदि वैधानिक कार्यवाहियां मण्डी समिति के सचिव/प्रतिनिधि के समक्ष कराया जाना अनिवार्य होगा।
58. तौलकांटा संचालक पर ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम 1973 [Licensing of Contactors under Contract Labour (R&A) Act, 1970 & MP Rules, 1973] (यथा संशोधित), म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1973 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/निर्देश बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
59. तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी समय-समय पर मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौलकांटे के केबिन में उपयुक्त प्रकार से सर्व संबंधितों के सूचनार्थ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
60. तौल संबंधी किसी अनियमितता/अपराध के लिए अधिनियम/उपविधि/अनुबंध के प्रावधानों के तहत एवं अद्यतन विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश विधिक अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
61. आवंटित तौलकांटा संचालक द्वारा तौलकांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में मंडी समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। उक्त हेतु सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा तौल कांटा संचालक को शर्तों के उल्लंघन को अभिलिखित करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधित को उत्तर प्रस्तुतिकरण हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।
62. तौलकांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी नियमतः कार्यवाही संपादित न होने पर तौलकांटा का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
63. तौलकांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर अथवा नियम विरुद्ध आवंटन कार्यवाही होने पर अथवा अनियमित संचालन होने पर प्रबंध संचालक, म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच कर सकेंगे। प्रबंध संचालक, तौलकांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे और उनके द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।
64. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयीन क्षेत्र मध्यप्रदेश रहेगा।
65. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्रेषित किया जायेगा। प्रबंध संचालक, उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर यथास्थिति उभय पक्षों को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 60 दिवस में प्रकरण में विनिश्चय करेंगे। प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....

अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति.....
जिला.....

निविदाकर्ता फर्म/व्यक्ति/संस्था/सहकारी संस्था के हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

बी.ओ.टी. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा स्थापना/संचालन हेतु अनुबंध पत्र प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांकमाह.....सनको प्रथम पक्षकार कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....मध्यप्रदेश व द्वितीय पक्षकार/ तौलकांटा संचालक/संस्था/ (प्रोपराईटर श्रीपुत्रजाति.....के मध्य सम्पन्न हुआ। (जो लागू हो) निम्नानुसार शर्तों के तहत निष्पादित किया जा रहा है-

1. तौलकांटे की स्थापना हेतु मंडी में उपलब्ध स्थानों में से उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है, जहाँ प्रांगण में आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन सुगमता से हो सके, तौल हेतु वाहन सहजता से तौलकांटे तक पहुँच सके तथा मंडी समिति के अन्य कार्य प्रभावित न हो।
2. परिपत्र की कंडिका-1.4 अनुसार मंडी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में "स्थान का चयन/चिन्हांकन का विवरण, भूखंड का आकार आदि" दर्ज है, जो अनुबंध का भाग होगा।
3. सामान्यतः तौलकांटे हेतु आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का आदर्श/प्रतिमान (model) आकार 20X10 वर्गमीटर होगा /आंकलन समिति द्वारा मंडी की आवश्यकता, स्थान की उपलब्धता, तौलकांटे की क्षमता आदि मानकों के आधार पर कम/अधिक आकार के.....वर्गमीटर भूखंड का आवंटन प्रस्तावित कर ले-आउट में तदनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार निविदा आमंत्रित की गई है (जो लागू हो।)
4. इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटा (Weighbridge) स्थापित करने हेतु भूखण्ड का आवंटन 10 वर्ष की अवधि के लिए केवल किराये पर दिया जायेगा।
5. विस्तारित अवधि (Extended Period) - तौल काँटा संचालन का कार्य संतोषजनक होने, समस्त देयकों का पूर्ण भुगतान होने तथा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर मंडी समिति आवंटन अवधि में 05-05 वर्ष के लिए अधिकतम दो बार वृद्धि करने का निर्णय ले सकेगी।
6. उपरोक्त वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में मंडी समिति एवं तौलकाँटा संचालक के मध्य नवीन अनुबंध संपादित किया जायेगा, जिसमें मंडी समिति तात्कालिक परिस्थितियों एवं मंडी बोर्ड के नवीन/प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में नवीन शर्तें सम्मिलित कर सकेगी, जो तौलकाँटा संचालक को मान्य एवं बाध्यकारी होंगी। मंडी समिति की शर्तों को तौलकाँटा संचालक द्वारा मान्य न किये जाने पर आवंटन अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी तथा तौलकांटे के आवंटन हेतु पुनः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
7. आवंटन अवधि में वृद्धि करने संबंधी निर्णय की दशा में प्रत्येक वृद्धि के दौरान वार्षिक प्रीमियम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वार्षिक प्रीमियम राशि पुनरीक्षित की जाएगी।

8. आवंटित किए जाने वाले भू-खण्ड का वार्षिक किराया, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य के 03 % अनुसार, कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो कि वर्तमान आवंटन हेतुराशि रुपये प्रतिमाह है।
9. आवंटित भूखण्ड के किराए में प्रत्येक 03 वर्ष के पश्चात 10% (दस प्रतिशत) की वृद्धि की जाएगी।
10. आवंटिती को तौलकांटे की स्थापना हेतु आवंटित भूमि के किराये की राशि का भुगतान मंडी समिति को प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में अनिवार्यतः अग्रिम के रूप से करना होगा।
11. आवंटिती के पास किराये का अग्रिम भुगतान वार्षिक रूप से करने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा, वार्षिक किराये का भुगतान अग्रिम रूप से करने पर वार्षिक किराये में 4% (चार प्रतिशत) की छूट प्रदाय की जाएगी।
12. तौलकांटे पर कृषकों एवं व्यापारियों की कृषि उपज की तौल के लिए तुलाई दरें मंडी समिति द्वारा निर्धारित की जाएँगी। कृषकों की उपज की तौल हेतु यथा ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहन के लिए दरें व्यापारिक तौल की दरों से न्यून तथा रियायती रखी जाएगी।
13. व्यापारिक जावक की तौल दरें सामान्यतः क्षेत्र की प्रचलित दरों के अनुरूप होगी। प्रारंभिक तुलाई दरें भू-खण्ड आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है जो अनुबंध का भाग होगी।
14. मंडी समिति, मंडी समितियों के लिए उपविधि सन 2000 के प्रावधान अनुसार तुलाई दरों में संशोधन कर सकेगी, किन्तु एक बार निर्धारित दर में 03 वर्ष के पूर्व कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
15. उच्चतम दर अनुसार वार्षिक तौलकांटा प्रीमियम की राशि.....रुपये संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा एक मुश्त अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष (अनुबंध संपादन माह में) मंडी समिति में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उदाहरणस्वरूप - यदि जनवरी माह में अनुबंध निष्पादित किया गया है तो आगामी वर्ष से अनुबंध समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष अग्रिम प्रीमियम राशि जनवरी माह में अनिवार्यतः जमा करनी होगी।
16. धरोहर राशि, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी बाजार मूल्य निर्देशिका के आधार पर भूखंड के प्राक्कलित मूल्य का 3% (तीन प्रतिशत) होगी, जो कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी, इसी प्रकार सफल निविदाकार द्वारा 01 वर्ष के वार्षिक प्रीमियम की राशि रक्षित पेशगी के रूप में अतिरिक्त रूप से अनिवार्यतः जमा की जाएगी।
17. धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि सुरक्षा निक्षेप के रूप में मण्डी समिति के पास अनुबंध अवधि तक जमा रहेगी। उक्त राशि तौलकांटा संचालक को अनुबंध अवधि समाप्ति के एक माह के भीतर मंडी के देय स्वत्वों के समायोजन उपरांत बिना ब्याज लौटाई जाएगी।



18. प्रदेश की किसी मंडी समिति के देयक/शोध्द्य वसूली योग्य होने एवं/अथवा शासन के किसी विभाग अथवा संगठन से ब्लैक लिस्टेड आवेदक तौलकांटे की निविदा प्रस्तुत करने हेतु अपात्र होंगे।
19. आवेदन के साथ परिपत्र की कंडिका 8.5 के अनुक्रम में निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत शपथ-पत्र में दिये गये तथ्य/विवरण गलत/असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध तौलकांटा आवंटन निरस्ती एवं धरोहर राशि तथा रक्षित पेशगी की राशि राजसात करने के साथ ही विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
20. तौलकांटे की स्थापना एवं संचालन के लिए तौलकांटा संचालक द्वारा एक पक्के पिट (आवश्यकतानुसार) एवं केबिन का निर्माण किया जा सकेगा। केबिन पर गर्डर फर्शी की छत इस शर्त के साथ डाली जा सकती है कि छत पर अन्य निर्माण कार्य नहीं होगा एवं छत का उपयोग किसी व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया जावेगा। उक्त प्रावधान पूर्व स्थापित बीओटी तौलकांटों पर भी प्रभावशील रहेगा।
21. तौलकांटे की स्थापना का कार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड के नवीनतम मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा। नापतौल विभाग के सत्यापन उपरांत ही तौलकांटा प्रारंभ किया जाएगा।
22. सफल निविदाकार को मंडी समिति से तौलकांटा आवंटन आदेश प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर तौलकांटे को स्थापित एवं क्रियाशील कर मंडी समिति को सूचित करना होगा। विलंब की स्थिति में संबंधित पर निर्धारित वार्षिक प्रीमियम राशि का 1.5% प्रतिमाह के मान से विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। यदि आगामी तीन माह (आदेश प्राप्त दिनांक से छः माह) के भीतर भी तौलकांटा प्रारंभ नहीं किया गया अथवा विलंब शुल्क सम्पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया, तो संबंधित का अनुबंध निरस्त किया जाकर धरोहर राशि एवं रक्षित पेशगी तथा यथा स्थिति तौलकांटे/संरचना/सामग्री (जैसी स्थिति में हो) राजसात कर ली जायेगी।
23. सफल निविदाकार द्वारा विधिवत् तौलकांटा स्थापना, नापतौल विभाग से सत्यापन कर क्रियाशील किये जाने की सूचना मंडी समिति को प्रस्तुत किये जाने पर मंडी समिति तत्काल तौलकांटे के संचालन के संबंध में सर्व संबंधितों को सूचना प्रदान करेगी।
24. तौलकांटे की स्थापना एवं सत्यापन आदि के सम्पूर्ण व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
25. तौलकांटे की संचालन, रख-रखाव तथा विद्युत आदि के व्यय का वहन तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
26. तौलकांटा संचालनकर्ता को तौलकांटे को लगातार तकनीकी रूप से अद्यतन तकनीक से युक्त रखते हुए उसे अत्याधुनिक बनाए रखना होगा, जिसके व्यय का वहन भी संबंधित तौलकांटा संचालक द्वारा किया जाएगा।
27. तौलकांटे के संचालन हेतु संबंधित तौलकांटा संचालक/ऑपरेटर को मण्डी अधिनियम की धारा 32 के अधीन मंडी समिति से तुलावटी की अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

4

28. उपविधि 2000 की कंडिका 24 के प्रावधान तौलकांटा संचालक/ ऑपरेटर पर यथास्थिति लागू रहेंगे।
29. तौलकांटा संचालक, यह सुनिश्चित करेगा कि मंडी के कार्य-समय (Working Hours) के दौरान तौल कांटा चालू रहे। जिसके लिए संबंधित आवश्यक संख्या में अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर नियोजित करेगा।
30. तौल में कोई अन्तर नहीं आए इस हेतु तौल की शुद्धता की जांच हेतु नापतौल के नियमानुसार एक टन के क्षमता के मानक बॉट आवश्यक है, जिसमें 20 किलो से लेकर 50 किलो तक के बॉट कुल-1000 किलोग्राम मानक वजन/बॉट भी हर समय तौलकांटे पर उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। इन मानक वजन/बॉटो को भी प्रतिवर्ष नाप-तौल निरीक्षक से स्टेपिंग, केलीब्रेशन, सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
31. तौलकांटे में संचालन के दौरान तकनीकी खराबी आने पर उसे अविलंब दुरुस्त करना होगा तथा उक्त अनुक्रम में नाप-तौल निरीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि तौलकांटे की खराबी 72 घंटे के भीतर ठीक कर तौल कांटा चालू नहीं किया जाता है तो संचालनकर्ता पर मासिक किराए की 10% प्रतिदिन के मान से राशि, दंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।
32. तौल हेतु संपूर्ण व्यवस्था कम्प्यूट्रीकृत किया जाना तथा तौलकांटे में डिजीटल लोडसेल लगाया जाना अनिवार्य होगा। कम्प्यूट्रीकृत रसीद का रिकार्ड मासिकवार तौलकांटा संचालक द्वारा विगत 03 वर्षों का रिकार्ड संधारित किया जावेगा, जो कि बोर्ड/मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
33. तौलकांटे संचालक द्वारा वाहनों की तौल का विवरण मंडी समिति को देने हेतु, यथास्थिति, तौलकांटे के वेट इन्डीकेटर मशीन को ई-मंडी प्रणाली से लिंक करना आवश्यक होगा। इस कार्य का व्यय तौलकांटा संचालक द्वारा वहन किया जावेगा।
34. तौलकांटा संचालक स्वयं के व्यय पर वाहनों की तौल की निगरानी के लिए आवश्यकता अनुसार (न्यूनतम दो) सीसीटीवी कैमरें स्थापित करेगा। समिति की सहमति से कैमरें इस प्रकार लगाये जायेंगे, जिससे तुलाई किये जा रहे वाहन का प्रकार/वाहन का नंबर एवं तौलकांटा के डिस्प्ले बोर्ड से तुलाई की स्थिति एक साथ (Simultaneously) रिकॉर्ड की जा सके। तौलकांटा संचालक द्वारा स्वयं के व्यय पर, उपरोक्त स्थापित कैमरों की Live Video Feed मंडी सचिव कार्यालय अथवा अन्य निर्देशित स्थान पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपरोक्त रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 02 माह की अवधि तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की जायेगी।
35. स्थापित तौलकांटे में किसी विशिष्ट घटना की स्थिति में सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, ऐसी अवधि तक के लिए जैसा कि मंडी समिति एवं/अथवा सक्षम न्यायालय/प्रबंध संचालक/जिला प्रशासन द्वारा परिपत्र की कंडिका 13.5 में उल्लेखित अवधि के भीतर लिखित रूप से अवगत कराया गया हो, सुरक्षित रखी जाएगी तथा उक्त रिकॉर्डिंग की 1 प्रति Pen Drive/हार्डडिस्क में मंडी समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

36. तौलकांटे की कार्य प्रणाली का निरीक्षण/जांच, शासन/मंडी बोर्ड/मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित तौलकांटा संचालक को पूर्ण सहयोग देना होगा।
37. बी.ओ.टी. तौलकांटा संचालक को, तौलकांटे की सम्पूर्ण निविदा अवधि अर्थात 10 वर्षों की प्रावधानित वृद्धियों को गणना में लेते हुए संपूर्ण प्रीमियम राशि एकमुश्त अग्रिम जमा किये जाने पर, निर्धारित वार्षिक किराये में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट की पात्रता होगी।
38. तौलकांटा संचालक द्वारा प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में त्रैमासिक किराया राशि का भुगतान नहीं करने पर किराये पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज, विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।
39. निष्पादित अनुबंध दिनांक से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर वार्षिक प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 18% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।
40. द्वितीय वर्ष से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अग्रिम राशि निष्पादित अनुबंध के माह से तीस दिवस की समय सीमा के भीतर जमा नहीं करने पर शेष प्रीमियम राशि पर 16% वार्षिक साधारण ब्याज के मान से विलंब शुल्क, विलंब की अवधि हेतु अधिरोपित किया जावेगा।
41. छः माह तक निर्धारित प्रीमियम/किराया एवं परिपत्र की कंडिका 15.1/ कंडिका 15.2 अनुसार विलंब शुल्क सहित पूर्ण देय योग्य राशि जमा नहीं करने एवं/अथवा किसी भी कारण से तौल काँटा 30 दिवस तक लगातार अक्रियाशील रहने की स्थिति में तौलकांटा संचालक का आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधि व उसके द्वारा बनाये गये कक्ष, तौलकांटा आदि संरचनायें मंडी समिति द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
42. उपरोक्तानुसार राजसात संरचनाओं के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक नीलामी कर अन्य तौलकांटा संचालक को अस्थाई या स्थाई तौर पर उक्त तौलकांटा एवं संरचनाएं आवंटित की जायेंगी, उपरोक्त प्रक्रिया से अवशेष राशि वसूल की जायेगी। नीलामी होने तक कृषकों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए मंडी समिति द्वारा स्वयं के साधनों से तौलकाँटा का संचालन किया जा सकेगा।
43. नीलामी में प्राप्त राशि संबंधित पूर्व तौलकांटा आवंटिती की देयताओं (Dues) से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि संबंधित को लौटाई जावेगी, किन्तु प्राप्त राशि देयताओं (Dues) से कम होने पर अवशेष राशि के लिए मंडी अधिनियम की धारा 61 के तहत आर.आर.सी. के तौर पर संबंधित से वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
44. तौलकांटे में कृषकों की तौल ऐच्छक रहेगी। मंडी समिति द्वारा कृषकों की तौल बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौलकांटे से कराने के सतत प्रयास किए जायेंगे। कृषक द्वारा कृषि उपज की तौल कराने पर प्राथमिकता के आधार पर उसकी तौल पहले करानी होगी।
45. मंडी प्रांगण से निकासी के पूर्व, वाणिज्यिक संव्यवहार में विक्रय की गयी उपज की तौल मंडी में स्थापित बड़े तौलकांटे अथवा बी.ओ.टी. तौलकांटे पर (किसी एक पर) कराया

- जाना अनिवार्य होगा एवं जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र में तौलकांटे की पर्ची पर उल्लेखित वजन दर्ज किया जाएगा।
46. यदि कोई व्यक्ति/फर्म/संस्था, प्रदेश के कृषि उपज मंडी/उपमंडी प्रांगणों में स्थापित तौलकांटो पर अपनी गैर कृषि जिन्सों की तौल कराना चाहती है तो ऐसे वाहनों की तौल की जा सकेगी। जिसकी तुलाई की दरें तौलकांटा संचालक एवं कृषि उपज मंडी समिति की आपसी सहमति से निर्धारित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गैर कृषि जिन्सों की तौल ऐसे समय पर की जावे, जब मंडी/उपमंडी प्रांगणों में कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय का तौल कार्य प्रक्रियाधीन न हो, ताकि मंडी की मुख्य गतिविधियां प्रभावित न हो एवं मंडी की आय- आवक पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। यह सुनिश्चित करना तौलकांटा संचालक का दायित्व रहेगा।
47. तौलकांटा संचालक को अपने स्वयं के व्यय पर तौलकांटे को उपयोग में लाने के पूर्व नाप-तौल विभाग के नियमों में यथा निर्धारित समयावधियों पर तौलकांटे का सत्यापन एवं स्टेम्पिंग आदि वैधानिक कार्यवाहियां मंडी समिति के सचिव/प्रतिनिधि के समक्ष कराया जाना अनिवार्य होगा।
48. तौलकांटा संचालक पर ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम 1973 [Licensing of Contactors under Contract Labour (R&A) Act, 1970 & MP Rules, 1973] (यथा संशोधित), म. प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1973 एवं उपविधि सन् 2000 के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन/ मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पत्र/परिपत्र/संशोधन पत्र/ निर्देश बंधनकारी होंगे, जिसका पालन संबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
49. तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी समय-समय पर मंडी समिति में जमा करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रति तौलकांटे के केबिन में उपयुक्त प्रकार से सर्व संबंधितों के सूचनार्थ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
50. तौल संबंधी किसी अनियमितता/अपराध के लिए अधिनियम/उपविधि/अनुबंध के प्रावधानों के तहत एवं अद्यतन विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश विधिक अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
51. आवंटित तौलकांटा संचालक द्वारा तौलकांटों की स्थापना एवं संचालन के कार्य के लिए निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में मंडी समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। उक्त हेतु सचिव, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा तौल काँटा संचालक को शर्तों के उल्लंघन को अभिलिखित करते हुए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधित को उत्तर प्रस्तुतिकरण हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा।
52. तौलकांटा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी नियमतः कार्यवाही संपादित न होने पर तौलकाँटा का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
53. तौलकांटा आवंटन में विहित एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर अथवा नियम विरुद्ध आवंटन कार्यवाही होने पर अथवा अनियमित संचालन होने पर प्रबंध

संचालक, म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच कर सकेंगे। प्रबंध संचालक, तौलकांटा संचालक एवं मण्डी के सचिव को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त निर्देश/आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होंगे और उनके द्वारा जारी निर्देश/आदेश उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

54. न्यायालयीन वाद-विवाद की स्थिति में मण्डी बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयीन क्षेत्र मध्यप्रदेश रहेगा।

55. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निराकरण हेतु मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को प्रेषित किया जायेगा। प्रबंध संचालक, उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राप्त होने पर यथास्थिति उभय पक्षों को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 60 दिवस में प्रकरण में विनिश्चय करेंगे। प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

अतः यह अनुबंध पत्र कृषि उपज समितिकी ओर से अधिकृत पदाधिकारी श्री/श्रीमति.....व तौलकांटा संचालक/प्रो0 श्री/श्रीमति..... पूर्ण पता..... द्वारा आज दिनांकको निष्पादित व साक्षीकृत किया जा रहा है।

स्थान-
दिनांक-

(श्री/श्रीमति-----)
प्रथम पक्षकर
कृषि उपज मंडी समिति.....
जिला-----

(श्री/श्रीमति-----)
द्वितीय पक्षकार/तौलकांटा संचालक
पता-----

गवाह-(1) नाम-
पता.....
.....

(2) नाम-
पता.....
.....

